

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

इलाहाबाद।

पत्र संख्या:- 2015/6437/इला0/इलाहाबाद/74/जेडी
सेवा में,

दिनांक मई, 02, 2018

सचिव/अपर सचिव
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

विषय:- खसरा न0 83,84, एवं 85 ग्राम-वाजिदपुर, तहसील-सदर जिला इलाहाबाद
(क्षेत्रफल-12004.42 वर्ग मीटर) पर दाखिल रिवाइज समूह आवास मानचित्र पर
अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टिकोण से प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के
सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्र संख्या 184/प्र0अ0 (त0स0-2)/जोन-1/रिवाइज /2017-18 दिनांक
06-03-2018

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक मेसर्स- न्यू मार्टन बिल्डवेल प्रा0लि0 द्वारा खसरा न0
83, 84, 85 ग्राम-वाजिदपुर, तहसील-सदर जिला इलाहाबाद (क्षेत्रफल-12004.42 वर्ग मीटर)
पर दाखिल रिवाइज समूह आवास मानचित्र पर अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टिकोण से प्रोविजनल
अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है। पूर्व में आराजी संख्या
23,24,25,26,83,84, 85, ग्राम-वाजिदपुर एवं आराजी सं0 46 (पार्टी) एवं 47 ग्राम मुददीनपुर
भरेठा, तहसील, सदर, इलाहाबाद (क्षेत्रफल-50710.00, वर्गमीटर) पर दाखिल समूह आवास मानचित्र
पर पत्रांक- 2015/6437/इला0/इलाहाबाद/74/जेडी दिनांक जनवारी, 22, 2015 द्वारा
प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान की गयी थी जो यथावत रहेगी। आवेदक द्वारा पुनः
खसरा न0 83,84, एवं 85 ग्राम-वाजिदपुर, तहसील-सदर जिला इलाहाबाद (क्षेत्रफल-12004.42
वर्ग मीटर) पर रिवाइज संसोधित समूह आवास मानचित्र दाखिल कर ब्लाक 1- टावर 14 व
15 में पूर्व में प्रस्तावित टू बीएचके/स्टूडी प्लैटों की संख्या परिवर्तित कर 52 से बढ़ाकर
प्रत्येक तल पर टू बीएचके-02, स्टूडियो-04, व वन बीएचके-02 कुल 104 प्लैट निर्मित किये
जाने पर अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टिकोण से प्रस्तावित रिवाइज भवन मानचित्र पर प्रोविजनल
अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रस्तावित प्रश्नगत भवन मानचित्रों एवं अभिलेखों का परीक्षण/स्थल का निरीक्षण
अग्निशमन अधिकारी सिविल लाइन्स इलाहाबाद श्री लालजी गुप्ता द्वारा अंकित मापों के आधार
पर किया गया, अग्निशमन अधिकारी इलाहाबाद की आख्या दिनांक 25/ 04/2018 का
सुसंगत मानकों के अनुसार परीशीलन मेरे द्वारा किया गया जिसका विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:-

1- कुल भूखण्ड एरिया:

50710.00 वर्गमीटर।

2- प्रस्तावित पार्ट भूखण्ड का कवर्ड एरिया - 12004.42 वर्गमीटर ।

3- प्रस्तावित भूतल(स्टिल्ट) कवर्ड एरिया :-

ब्लाक-1अवनी टावर 12ए - 321.74 वर्गमीटर ।

ब्लाक 1 टावर 14 व टावर 15 - 319.16 वर्गमीटर ।

ब्लाक-2(निर्झर) -टावर 16 - 336.23 वर्गमीटर ।

ब्लाक-3(ईडब्लूएस/एलआइजी) - 836.40 वर्गमीटर ।

4- ब्लाक-1अवनी टावर 12ए, टावर 14 व टावर 15 का ग्राउण्ड का कवर्ड एरिया -429.89 वर्गमीटर व ब्लाक-2 निर्झर टावर 16 का ग्राउण्ड कवर्ड एरिया -442.55 वर्गमीटर तथा ब्लाक- 3 ईडब्लूएस/एलआइजी- ग्राउण्ड का कवर्ड एरिया- 900.00 वर्गमीटर।

ब्लाक-1अवनी टावर 12ए प्रथम तल से 13 वें तल तक का टिपिकल कवर्ड एरिया प्रत्येक तल - 360.12 वर्गमीटर ।

ब्लाक 1 टावर 14 व टावर 15 का प्रथम तल से 13 वें तल तक का टिपिकल कवर्ड एरिया प्रत्येक तल - 392.89 वर्गमीटर ।

ब्लाक-2 (निर्झर) -टावर 16 - का प्रथम तल से 13 वें तल तक का टिपिकल कवर्ड एरिया प्रत्येक तल - 373.85 वर्गमीटर ।

ब्लाक-3(ईडब्लूएस/एलआइजी) - प्रथम तल से 12वें तल तक का टिपिकल कवर्ड एरिया प्रत्येक तल -843.70 वर्गमीटर तथा 13 वें तल का कवर्ड एरिया -738.92 वर्गमीटर ।

5- भवन की ऊँचाई : - 41.35 मीटर

भवन का अधियोग एवं हैजार्ड श्रेणी- प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0-2016 के आवासीय श्रेणी के ग्रुप ए-4 के अर्न्तगत वर्गीकृत किया गया है

डॉचागत व्यवस्थायें:-

1- पहुँच मार्ग:-भूखण्ड के सामने मानचित्रों में 75 मीटर रोड की चौड़ाई है।

2- प्रवेश द्वार:- प्रवेश द्वार की चौड़ाई मानक के अनुसार है।

3- सेट बैक:- प्रस्तावित भवन का सेटबैक निम्नवत है।

अग्रभाग	पृष्ठभाग	पार्श्वभाग प्रथम	पार्श्वभाग द्वितीय
ब्लाक 1 13.00 मी0	13.00 मी0	13.06 मी0	13.18 मी0
ब्लाक 2 13.00 मी0	13.00 मी0	13.18 मी0	14.50 मी0
ब्लाक 3 13.00 मी0	13.00 मी0	13.18.00 मी0	14.38 मी0

प्रस्तावित भवन का सेटबैक भवन नियमावली-2016 के अनुसार अपेक्षित होगा। सेट बैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेंगे। सेटबैक में किसी प्रकार का स्थाई /अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा। भवन के निर्माण में एन0बी0सी0-2016 पार्ट-4 के बिन्दु 3.4.6.1 का विशेष ध्यान रखा जायेगा।



4-निकास मार्ग- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लॉक में 01 स्टेयर जिसकी चौड़ाई 1.50 मी०, तथा 01 फायर स्केप जिसकी चौड़ाई 1.50 मीटर है व 2 लिफ्ट का प्राविधान किया गया है, जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेबलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।
रिफ्यूज एरिया का विवरण:- अपेक्षित नहीं है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2016 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएं पूर्ण की जानी अनिवार्य होगी।

1- भूमिगत टैंक :- भूमिगत टैंक 1,00,000 लीटर क्षमता का प्राविधानित है ।

2- पम्प:- अण्डर ग्राउण्ड टैंक के पास मेन पम्प 2280 लीटर क्षमता का एक डीजल पम्प , 2280 लीटर क्षमता का एक इलेक्ट्रिक पम्प व 180 लीटर क्षमता का जॉकी पम्प अपेक्षित है।

3- होजरील:- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिंग वाल्व आई0एस0-3844 मानको के अनुरूप प्राविधानित किया जाय।

4- वेट राइजर- प्रस्तावित भवन में वेटराइजर सिस्टम एन0बी0सी0-2016 के मानकों के अनुरूप प्राविधानित किया जाय।

5- फायर सर्विस इनलेट:- प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाइड्रेंट होज कैबिनेट एवं उसमें डिलीवरी होज पाइप तथा ब्रान्च पाइप एवं फायर सर्विस इनलेट का प्राविधान आई0एस0-13039:1991 के अनुसार प्राविधानित किया जाय।

6- हस्तचालित इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:- प्रस्तावित भवन में मैनुअल आपरेटिड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0-2016 मानको के अनुसार प्राविधानित किया जाय।

7- स्वचालित हीट डिटेक्शन, स्मोक एण्ड एलार्म सिस्टम:- प्रस्तावित भवन में आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0-2016 मानकों के अनुसार प्राविधानित किया जाय।

8- स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम:- प्रस्तावित भवन में आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0-2016 मानक के अनुसार अपेक्षित नहीं है।

9- टेरिस टैंक:- प्रस्तावित भवन की टेरिस पर टेरिस टैंक 20,000 ली० क्षमता का एन0बी0सी0-2016 मानक के अनुरूप प्राविधानित किया जाय।

10- टेरिस पम्प :- अपेक्षित नहीं है।

11- प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर) :- प्रस्तावित भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0 - 2190/2010 के अनुसार प्राविधानित किया गया है, जो मानकों के अनुरूप अपेक्षित है।

12- बेसमेन्ट में मैकेनिकल स्मोक एक्झास्ट सिस्टम एवं इमरजेन्सी लाइट का व्यवस्था अपेक्षित नहीं है।

13- स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम:- स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम अपेक्षित नहीं है।

ए- फायर चैक डोर, स्मोक चैक डोर की लोकेशन व रेटिंग अपेक्षित नहीं है।

बी- बेसमेन्ट में कम से कम 30 बार एयर चेंज प्रतिघंटा प्रणाली का लगाया जाना आवश्यक नहीं हैं।

14- प्रेशराईजेशन प्रणाली:-

क- निकास स्थानों पर प्रेशराईजेशन की गयी है व प्रयुक्त होने वाले फैंस की डक्टिंग इत्यादि, अपेक्षित नहीं हैं।

ख- प्रेशराईजेशन सिस्टम, डिटेक्शन सिस्टम से इण्टरलिंक, जो एन0बी0सी0-2016 के मानक के अनुरूप अपेक्षित नहीं है।

15- एग्जिट साइनेज:- प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साइनेज प्राविधानित किया जाय।

16- पी0ए0 सिस्टम:- पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में प्राविधानित किया जाय।

अतः उपरोक्तानुसार श्री अखिलेश नागर अधिकृत हस्ताक्षरी मेसर्स न्यू मार्टन विल्डवेल प्रा0 लि0 द्वारा आराजी सं0 83,84,85 ग्राम वाजिदपुर तहसील-सदर, जिला-इलाहाबाद पर दाखिल प्रस्तावित रिवाइज समूह आवास मानचित्र भवन मानचित्र पर प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि शेष टावर पर पूर्व में निर्गत फायर विभाग की अनापत्ति सं 2015/6437/इला0/इलाहाबाद/74/जे0डी0 दिनांक जनवरी, 2015 लागू रहेगी तथा आवेदक द्वारा भवन/ईकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन नियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2016 में उल्लिखित मानकों के अनुसार कराये जायें तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।


(आरा0 एम0 मिश्रा)
(स्वामिन् शर्कर मिश्रा)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
इलाहाबाद

प्रतिलिपि:-

1- अग्निशमन अधिकारी सिविल लाइन्स इलाहाबाद को सूचनार्थ।

✓ 2- आवेदक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।